

झारखंड सरकार
जल संसाधन विभाग।

आदेश सं.- 8/ज.स.(नि.)विविध-15-04/2014 (खण्ड):-

/राँची, दिनांक:-

आदेश

श्री चन्द्रशेखर (आई. डी.- 4409) सहायक अभियंता, की सेवा झारखण्ड पुलिस हाउसिंग निर्माण निगम, राँची से वापस लेते हुए विभागीय अधिसूचना सं. 7776 दिनांक 21.12.13 द्वारा जल पथ प्रमण्डल, विशुनपुर, पाटन में पदस्थपित किया गया था। श्री चन्द्रशेखर द्वारा सरकारी/स्थानान्तरण आदेश का अनुपालन ससमय नहीं किये जाने के कारण विभागीय पत्रांक 2718 दिनांक 27.03.14 द्वारा कारण पृच्छा की गई।

2. श्री चन्द्रशेखर से प्राप्त कारण पृच्छा की समीक्षा सरकार स्तर पर की गई। सम्यक समीक्षोपरांत श्री चन्द्रशेखर को निम्न दण्ड देने का निर्णय लिया गया :-

(1) दो वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।

3. उक्त प्रस्ताव पर माननीय मंत्री महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

अतएव एतद द्वारा सरकार के उक्त निर्णय को संसूचित किया जाता है।

ह0/-

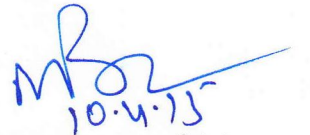
(बिन्दु माधव प्रसाद सिंह)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक:- 1735

राँची, दिनांक:- 10-4-15

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/ कोषागार पदाधिकारी, मेदिनीनगर/ प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, राँची/ मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर/ संयुक्त सचिव (प्र.) जल संसाधन विभाग, राँची/कार्यपालक अभियंता, जल पथ प्रमण्डल, विशुनपुर, पाटन/श्री चन्द्रशेखर सहायक अभियंता, जल पथ प्रमण्डल, विशुनपुर, पाटन शिविर- जपला (हुसैनाबाद)/ विभागीय वेब मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


10.4.15

(बिन्दु माधव प्रसाद सिंह)

सरकार के उप सचिव।

10-4-15